कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0/2026/2077 दिनांकः 18.05.2026

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से आदेश क्रमांक Estt.(RJS)/70/2026 दिनांक 14.05.2026 के द्वारा जयपुर महानगर–द्वितीय न्यायक्षेत्र के चौमूं मुख्यालय स्थित निम्न रिक्त न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

उक्त दोनों रिक्त न्यायालयों के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्न सारणी में अंकितानुसार दी बार एसोसिएशन, चौमूं द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, चौमूं जिला जयपुर के सामने स्थित समर्पित बार रूम (दोनों न्यायालयों हेतु डिवाईड करते हुए) कोर्ट की नई बिल्डिंग के निर्माण होने तक उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	बैठक स्थान
01	अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–26, जयपुर महानगर–द्वितीय (मुख्यालय चौमूं)	अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, चौमूं जिला जयपुर के सामने स्थित बार रूम।
02	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), क्रम–16, जयपुर महानगर–द्वितीय (मुख्यालय चौमूं)	

18.5.26

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0/2026/ 2078 दिनांकः 18.05.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय न्यायक्षेत्र।
2. समस्त केन्द्रीकृत शाखाएं, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
3. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा) जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
4. प्रभारी अधिकारी (भण्डार शाखा) जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय को इस निर्देश के साथ की उक्त न्यायालयों के सुचारू रूप से संचालन हेतु नियमानुसार आवश्यक फर्नीचर/सामग्री उपलब्ध करावें।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–10, जयपुर महानगर–द्वितीय (मुख्यालय चौमूं)।
6. नोडल अधिकारी (भूमि एवं भवन) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर–द्वितीय।
7. अध्यक्ष/महासचिव, दी बार एसोसिएशन, चौमूं।
8. संबंधित न्यायालय.....
9. कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
10. सीनियर सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. नाजिर, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
12. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली/संबंधित पत्रावली

18.5.26

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय